

पंचायत निगरानी संख्या : 485/2024

उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम भेराराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 485/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/625

प्रार्थी :-

अप्रार्थीगण :-

विकास अधिकारी पंचायत समिति
बाली

बनाम

1. भेराराम पुत्र गेनाजी निवासी
दूदनी तह. बाली जिला पाली
राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 07/2015-16 में जरिये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 13.09.2019 को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थिति:-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान।



-:निर्णय:-

दिनांक: 20.08.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 07/2015-16 में जरिये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 13.09.2019 को निरस्त करवाने बाबत पेश की गई।

प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्नांकित अनियमितताओं के कारण प्रस्तुत की गई:-

1. यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या एक को सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा संख्या 12 दिनांक 13.09.2019 को जारी किया गया है।
2. भेराराम पुत्र गेनाजी के नाम से ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा पट्टा क्रमांक 12 जरिये मिसल संख्या 07/2015-16 द्वारा जारी किया गया है जिसका ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1)(ख) के तहत पट्टा शुल्क 200.00/- रुपये लेकर पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। पत्रावली में दायर दिनांक 14.07.2015 अंकित है जिसमें भेराराम/गेनाजी के पट्टा आवेदन शुल्क 120/- रुपये जरिये रसीद संख्या 73 दिनांक 14.07.2015 द्वारा जमा कर पत्रावली दायर की गई लेकिन पत्रावली में आवेदक का पट्टा बनाने का आवेदन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.



पंचायत निगरानी संख्या : 485/2024

उपनाम : विकास अधिकारी बाली बनाम भेराराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

पत्र सलंगन नहीं है। भूमि किरम का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पत्रावली में दिनांक 05.07.2019 को आज्ञाओं की सूची में लिखा हुआ है लेकिन पत्रावली के साथ सलंगन नहीं है। वार्ड पंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट में मौके की स्थिति का सही उल्लेख किया हुआ नहीं है। नियम 148 में आपत्ति मांगने के सूचना पत्र दिनांक 05.07.2019 को प्रारूप 22 में जारी किया गया है लेकिन सहज दृश्य स्थल पर चर्या कर दो मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर किये हुए नहीं है। मौके पर मकान 50 वर्षों के दौरान होने सम्बन्धित साक्ष्य बाबत सरपंच के निर्णय पत्र के अतिरिक्त किसी भी गवाह के बयान लगे हुए नहीं है। जांच कमेटी द्वारा मौका स्थिति देखने पर खाली भूखण्ड है, तथा भूखण्ड के दो दिशा में लगभग 3 फीट उंची चार दिवारी है एवं शेष भूखण्ड में कांटों की बाड़ है। आवादी भूमि की लगती सीमा में होने से ग्राम पंचायत द्वारा आवादी भूमि की बिना जानकारी प्राप्त किये ही पट्टा जारी किया गया है। भूमि किरम की राजस्व विभाग से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार पट्टे की भूमि गैर वारानी सोयम सिवायचक है। पत्रावली एवं मौका स्थिति अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा गलत नियम तथा वारीन सोयम सिवायचक भूमि में बनाया गया है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 13.09.2019 की वैधता, शुद्धता एवं मौलिकता के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावें।



प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से काविल अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या दो बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। ग्राम पंचायत दूदनी से मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से वहस सुनने का निश्चय किया गया।

प्रार्थी ने वक्त वहस निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि परिवारी श्री करणसिंह पुत्र श्री फूलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मौरीगांव ग्राम दूदनी द्वारा श्रीमान् महानिदेशक भट्टाचार निरोधक व्यरो जयपुर में ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा नियम विरुद्ध गोचर औरण भूमि में पट्टा जारी करने का परिवाद पेश किया था। जिसके सम्बन्ध में कार्यालय पंचायत समिति के तीन सहायक विकास अधिकारियों की कमेटी का गठन कर जांच करवायी गई थी। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या एक को सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा संख्या 12 दिनांक 13.09.2019 को जारी किया गया है। भेराराम पुत्र गेनाजी के नाम से ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा पट्टा क्रमांक 12 जरिये मिसल संख्या 07/2015-16 द्वारा जारी किया गया है जिसका ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1)(ख) के तहत पट्टा शूल्क 200.00/- रुपये लेकर पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। पत्रावली में दायर दिनांक 14.07.2015 अंकित है जिसमें भेराराम/गेनाजी के पट्टा आवेदन शुल्क 120/- रुपये जरिये रसीद संख्या 73 दिनांक 14.07.2015 द्वारा जमा कर पत्रावली दायर की गई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.



पंचायत निगरानी संख्या : 485/2024
वान : विकास अधिकारी बाली बनाम भेराराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती
राज. अधिनियम, 1994

लेकिन पत्रावली में आवेदक का पट्टा बनाने का आवेदन पत्र सलंगन नहीं है। भूमि किस्म का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पत्रावली में दिनांक 05.07.2019 को आज्ञाओं की सूची में लिखा हुआ है लेकिन पत्रावली के साथ सलंगन नहीं है। वार्ड पंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट में मौके की स्थिति का सही उल्लेख किया हुआ नहीं है। नियम 148 में आपत्ति मांगने के सूचना पत्र दिनांक 05.07.2019 को प्रारूप 22 में जारी किया गया है लेकिन सहज दृश्य स्थल पर चस्पा कर दो मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर किये हुए नहीं है। मौके पर मकान 50 वर्षों के दौरान होने सम्बन्धित साक्ष्य बाबत सरपंच के निर्णय पत्र के अतिरिक्त किसी भी गवाह के बयान लगे हुए नहीं है। जांच कमेटी द्वारा मौका स्थिति देखने पर खाली भूखण्ड है, तथा भूखण्ड के दो दिशा में लगभग 3 फीट उंची चार दिवारी है एवं शेष भूखण्ड में कांटो की बाड है। आबादी भूमि की लगती सीमा में होने से ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि की बिना जानकारी प्राप्त किये ही पट्टा जारी किया गया है। भूमि किस्म की राजस्व विभाग से प्राप्त जांच



अनुसार पट्टे की भूमि गैर बारानी सोयम सिवायचक है। पत्रावली एवं मौका स्थिति अनुसार पट्टा गलत नियम तथा बारीन सोयम सिवायचक भूमि में बनाया गया है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण वैध प्रक्रिया की पूर्णतः पालना करते हुए तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी के पक्ष में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया है। यह भी, कि आलोच्य भूमि पर गांव की आबादी बसी हुई है तथा विकास अधिकारी द्वारा बिना किसी वैध अधिकारिता के एवं आधारहीन तथ्यों पर हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की है, जिसे खारिज फरमावें।

उभयपक्षकारों की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड के अवलोकन एवं विश्लेषण उपरान्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आक्षेप अनुसार प्रश्नगत पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि बारानी सोयम राजकीय सिवायचक भूमि है। निगरानी याचिका के सलंगन जांच रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की गई है तथा अप्रार्थीपक्ष भी इसके खण्डन हेतु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, जिसके आधार पर कोई प्रतिकूल उपधारणा की जा सके। अतः प्रार्थीपक्ष का यह तर्क प्रमाणित पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर आबादी राजकीय भूमि में अधिकारिता से परे जाकर जैर आलोच्य पट्टे की कार्यवाही सम्पादित की है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 140 में यथापरिभाषित 'आबादी भूमि' में ही ग्राम पंचायत कार्यवाही हेतु अधिकृत है।
2. जैर आलोच्य पट्टा क्रमांक 12 जरिये मिसल संख्या 07/2015-16 द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1)(ख) के अन्तर्गत पट्टा शुल्क 200/- रुपये लेकर पुराने गृहों का विनियमितकरण कर पट्टा जारी किया गया, किन्तु सम्पूर्ण मिसल में सरपंच के निर्णय पत्र के अतिरिक्त किसी भी गवाह के बयान

अतिरिक्त जिला कलक्टर तथा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो अप्रार्थीगण उपबन्धित अवधि बाली, जिला-पाली के रहवासी कब्जे की पुष्टि कर सके। यहाँ तक कि मूल मिसल में भी अप्रार्थीगण के पुराने

पंचायत निगरानी संख्या : 485/2024

उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम भेराराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

कब्जें एवं अवधि के सम्बन्ध में गवाहों/पड़ोसियों के बयान आदि सलंगन नहीं है। उपरोक्त के अभाव में यह समझ से परे है कि ग्राम पंचायत द्वारा किस आधार पर अप्रार्थीगण का पुश्तैनी रहवासी कब्जा प्रमाणित मानते हुए नियम 157 (1) के अन्तर्गत आलोच्य पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आक्षेप अनुसार पत्रावली में आवेदक का पट्टा बनाने का आवेदन पत्र सलंगन नहीं है। निगरानी याचिका के सलंगन जांच रिपोर्ट में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है किन्तु सम्पूर्ण मिसल में अप्रार्थीगण का कोई आवेदन या प्रार्थना पत्र बाबत पट्टा सलंगन उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीपक्ष भी ऐसे किसी पट्टा आवेदन की प्रति तथा शुल्क रसीद की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आलोच्य पट्टा जारी करने हेतु अप्रार्थी द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 की पालना किए बिना ही मिसल कायम कर आदेशिका दिनांक 07.06.2019 में काल्पनिक कथनों का अंकन किया गया।
4. मिसल में आदेशिका दिनांक 05.07.2019 में भूमि किस्म का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अंकन किया हुआ है किन्तु सम्पूर्ण मिसल में भूमि किस्म का प्रमाण पत्र सलंगन नहीं है।
5. मिसल में आदेशिका दिनांक 05.07.2019 में सरपंच द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि मौके का निरीक्षण नियम 146(2) के तहत गठित कमेटी द्वारा किया जाकर स्थल का नजरी नक्शा कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में बनाया गया किन्तु सम्पूर्ण मिसल में मौका निरीक्षण हेतु आज्ञापक तीन पंचों का मनोनयन आदेश सलंगन नहीं है। अर्थात् पंचायत द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड के स्थल निरीक्षण हेतु किन तीन पंचों को नामित किया गया, इस सम्बन्ध में न तो मूल मिसल में कोई दस्तावेज उपलब्ध है और न ही ऐसा कोई आदेश अप्रार्थीपक्ष प्रस्तुत कर पाया है। इस स्थिति में मूल मिसल में सलंगन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट वैधानिक रूप से प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा आलोच्य पट्टे के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 की पूर्वापेक्षा में अपेक्षित कार्यवाही प्रभाव में नहीं लायी गई।
6. मिसल में सलंगन आपत्ति इशतिहार की पुष्ट पर ऐसा कोई विवरण अंकित नहीं है कि उक्त आपत्ति सूचना पत्र किस स्थान पर एवं किन दो व्यक्तियों की उपस्थिति में चर्चा किया गया। उक्त के अभाव में यह कार्यवाही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के प्रावधानानुरूप सम्यक् कार्यवाही नहीं मानी जा सकती।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाते हैं।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 बहक प्रार्थी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 07/2015-16 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 एवं उक्त संकल्प के अनुक्रम में निष्पादित आलोच्य पट्टा संख्या 12 दिनांक 13.09.2019 को अपास्त किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली



पंचायत निगरानी संख्या : 485/2024

उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम भेराराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दूदनी को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि निरस्त किये गए आलोच्य पट्टा संख्या 12 दिनांक 13.09.2019 की मूल कार्यालय प्रति पर लाल स्याही से बड़े बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही, विकास अधिकारी, प.स. बाली को यह निर्देश दिए जाते हैं कि आलोच्य मिसल में कार्यवाही हेतु उत्तरायी लोकसेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।




(शिलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला काफ़्टर
अतिरिक्त जिला काफ़्टर,
बाली